फैक्स/ई–मेल

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611/2215978
ई–मेल:–ceo_bihar@eci.gov.in

कार्या०आ० सं०:–बी1–3–37/2019– 54 पटना, दिनांक 11 मार्च, 2019 ई0।

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437/6/POL/LET/FUNC/2017-CCS दिनांक 31.10.2017 एवं 437/6/1/LET/INST/FUNCT/MCC/2019 दिनांक 10 मार्च 2019 के अनुपालन में आदर्श आचार संहिता (MCC) प्रभाव में रहने की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा आदर्श आचार संहिता के संबंध में स्पटीकरण/शिथिलता संबंधी प्रकरण सीधे ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अथवा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित नहीं किये जायेंगे। आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालन में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में निम्नानुसार स्क्रिनिंग समिति का गठन किया जाता है –

i.	मुख्य सचिव	–	अध्यक्ष
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (संबंधित विभाग जिनका प्रस्ताव है)	–	सदस्य
iii.	अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	–	सदस्य

आयोग के निर्देशानुसार किसी भी विभाग से आदर्श आचार संहिता संबंधी प्रकरण प्राप्त होने पर, उसका परीक्षण सर्वप्रथम आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत (ECI Portal पर उपलब्ध Compendium/Instruction के अनुसार) उक्त स्क्रिनिंग समिति द्वारा किया जायेगा तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से ही प्रस्ताव आयोग को प्रेषित किये जायेंगे। समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि अपनी मूल संचिका मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रेषित नहीं करें। संदर्भित किये जाने वाले प्रकरण स्वतः स्पष्ट विवरणी (Self-Contained Note) के साथ प्रेषित किये जायेंगे।

प्रशासनिक विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि यदि किसी प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में प्रकरण कम से कम 1 सप्ताह पूर्व प्रेषित किया जाये।

उपर्युक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(ह०) 11/3
(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : – बी1–3–37/2019– 1320 पटना, दिनांक 11 मार्च, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 11/3
(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : – बी1–3–37/2019– 1320 पटना, दिनांक 11 मार्च, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 11/3
(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : – बी1–3–37/2019– 1320 पटना, दिनांक 11 मार्च, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 11/3
(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : – बी1–3–37/2019– 1320 पटना, दिनांक 11 मार्च, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– श्री एन० एन० बुटौलिया, प्रधान सचिव/श्री ए० के० पाठक, सचिव/श्री राकेश कुमार, अवर सचिव/ श्री दिवेश कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 11/3
(एच० आर० श्रीनिवास)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

"मजबूत लोकतंत्र – सबकी भागीदारी"